

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार,  
उप निदेशक (श्रम कल्याण ) वरुणालय 'बी' बिल्डिंग,  
करोल बाग, झण्डेवालन, नई दिल्ली-110005.

—: परिपत्र :—

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड के निम्नलिखित ओदश तत्काल अनुपालन हेतु, पारित कर दिया है ।

1. इसके उपरांत, वर्तमान चिकित्सा योजना को "दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारी चिकित्सा योजना" ( DJBEHS) से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं दिल्ली जल बोर्ड की विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध होगी ।
2. चिकित्सा बिलों के संबंध में अपील एवं पुर्नवलोन प्रावधान ।

चिकित्सा बिलों से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए मंजूरीदाता प्राधिकारी मेडिकल स्कीनिंग कमेटी से परामर्श ले सकते हैं । मंजूरीदाता प्राधिकारी आवेदक निर्णय और कारण से अवगत करा सकते हैं ।  
यदि आवेदक संतुष्ट नहीं हैं तब वह निदेशक (प्रशा.एवं का.) को आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता/ सकती हैं ।  
निदेशक (प्रशा.एवं का.) के आदेश के विरुद्ध पुर्नवलोकन याचिका आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सदस्य (प्रशासन) को कर सकते हैं ।

3. चिकित्सा योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।  
पात्र कर्मचारी / पेन्शनर और उनके आश्रित पारिवारिक सदस्य दिल्ली जल बोर्ड के औषधालयों, सरकारी अस्पतालों/ औषधालयों और दिल्ली जल बोर्ड के पेनल में सम्मिलित निजी अस्पतालों में उपचार कराने के योग्य होंगे ।  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर निवस करने वाले लाभार्थी भी गैर आपातस्थिति के दौरान सरकारी अस्पतालों से उपचार हेतु प्रतिपुर्ति व्यय के पात्र/ योग्य होंगे ।
4. दिल्ली जल बोर्ड के पेनल में निजी अस्पताल/ क्लिनिक/ जाँच केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को शामिल करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की नीति ।  
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाएं (सीजीएचएच)/ डीजीईएचएस के पेनल में सम्मिलित और उनके समान सुविधाएं देने वाले अस्पतालों /क्लिनिकों /जाँच केन्द्रों तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को समान नियम व शर्तों पर उनकी सहमति के बाद ही दिल्ली जल बोर्ड के पेनल में शामिल किया जाएगा ।
5. आश्रित पारिवारिक सदस्य ।  
सैन्ट्रल सर्विसेज (मेडिकल अटैंडेस) नियम के अनुसार आश्रित पारिवारिक सदस्यों की परिभाषा कार्यरत कर्मचारियों के समान ही सेवा निवृत्ति के बाद पेन्शनर के लिए भी होगी ।
6. वरिष्ठ नागरिकों के मामले में औषधि निर्धारित करने की अवधि ।  
लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता वाले, बीमारी से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी के मामले में औषधालय के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के निर्णय के आधार पर तीन महीने तक औषधि दी जा सकती है ।

7. सेवा निवृत्ति ( पेन्शनर ) कर्मचारी के लिए चिकित्सा कार्ड जारी करने की रियायती अवधि ।

पेन्शनर के लिए सेवा निवृत्ति के बाद उपचार के चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के दावों को स्वीकार करने के लिए तीन मास की छूट अवधि दी जाएगी । दूसरे शब्दों में यदि चिकित्सा कार्ड / चिकित्सा पुस्तिका छूट अवधि के तीन महीनों के भीतर जारी नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में पेन्शनर किसी भी प्रकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय और चिकित्सा सुविधा का पात्र नहीं होगा ।

8. औषधालयों में शिकायतों / सुझावों की पेटी स्थापित करना ।

संबंधित चिकित्सा अधिकारी उसके अधीन औषधालय के सम्पूर्ण प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे/ होंगी सभी औषधालयों में एक शिकायत/ सुझाव पेटी को 15 दिनों के अन्दर एक विशिष्ट स्थान पर स्थापित किया जाएगा । शिकायत / सुझाव पेटी से प्राप्त शिकायतों/ सुझावों को निदेशक (प्रशा. एवं का) कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर एकत्र किए जाएंगे और उन्हें गुप्त रखा जाएगा ।

एकत्र किए गए शिकायतों/ सुझावों पर औषधालय की कार्यप्रणाली को अधिक बेहतर बनाने हेतु विचार किया जाएगा तथा संबंधित चिकित्सा अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसी आधार पर लिखी जाएगी ।

sd/-

(शेखर कुमार)

उप निदेशक (श्रम कल्याण)

क्रम सं: उ0.नि0.(श्र0क0)/उ0/2014/डी - 103252 to 103642 दिनांक 13 - 08 - 14

प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड
2. सभी सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
3. मुख्य कार्य अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड
4. सदस्य (प्रशासन)/ (वित्त)/ (जल आपूर्ति)/ (ड्रेनेज)/ मुख्य सतर्कता अधिकारी
5. सभी निदेशक/ सभी मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता/ संयुक्त निदेशक (राजस्व)
6. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता)/ सभी उप-निदेशक (राजस्व एवं प्रवर्तन)/ सभी सहायक आयुक्त/ सहायक आयुक्त (ई.डी.पी.)
7. विधि अधिकारी/ उप-निदेशक (विधि)/ परामर्शदात्री (जन सम्पर्क)
8. मुख्य सुरक्षा अधिकारी/ उप-मुख्य सुरक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
9. सभी चिकित्सा अधिकारी
10. सभी यूनियन, दिल्ली जल बोर्ड
11. कृपया इस परिपत्र का व्यापक प्रचार करने के लिए अपने अंतर्गत कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड में लगाएं ।

Please upload this Circular  
in DSR website.

EDP Cell 10/11/14

10-11-14

उप निदेशक (श्रम कल्याण)

Sh Sanjay Prasad

10/11/14